राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	209/2018 भौरीलाल बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुल 10 वादीगण रहे है, जिनमे से वादी संख्या 6 भगवाना एवं वादी संख्या 9 देवीलाल के फौत हो जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके कायम मुकाम प्रार्थना पत्र विधि में निर्धारित समयावधि पेश नही किये जाने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19/02/2018 पारित करते हुये वादी गण का वाद अबेट होना धारित कर ख़ारिज किया गया है, जबकि विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में लचीला रुख अपनाते हुये वादी संख्या 6 व 09 की हद तंक वाद को अबेट करते हुये शेष वादीगण के हद तक वाद में विधिअनुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वाद को अबेट करने में त्रुटी कारित की गयी है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19/02/2018 को इस आशय के साथ संशोधित किया जाता है कि वादीगण का वाद वादी संख्या 6 व 9 की हद तक अबेट किया जाकर शेष वादीगण संख्या 1 लगा. 5 व 7, 8,10 की हद तक बहाल रखते हुये उसे विधिक प्रक्रियाओ के अनुरूप उसमे अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	